छत्तीसगढ़ विधानसभा

पत्रक भाग-एक

संक्षिप्त कार्य विवरण

चतुर्थ विधान सभा द्वितीय सत्र अंक-02

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 22 जुलाई, 2014

(आषाढ़ -31, शक संवत 1936)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नकाल प्रारंभ होते ही श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने नियम 145 (1) के अंतर्गत दी गई सूचना का उल्लेख करते हुए आसंदी से व्यवस्था की मांग की।

श्री अजय चंद्राकर, संसदीय कार्य मंत्री ने कथन किया कि प्रश्नकाल के बाद इस विषय पर चर्चा की जा सकती है। श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष एवं श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य द्वारा भी व्यवस्था देने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने प्रश्नकाल के पश्चात इस विषय पर विचार करने का आश्वासन दिया।

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 09 (कुल 09) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा उत्तर दिए गए।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 44 तारांकित एवं 58 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 07 पर चर्चा के दौरान श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

प्रश्नकाल समाप्त होने के पश्चात् श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रतिपक्ष के द्वारा दी गई नियम 145 (1) के तहत सूचना पर व्यवस्था दिए जाने की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि-

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

दिनांक 21 जुलाई, 2014 को मेरे सचिवालय में छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 145 (1) के तहत अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ विधान सभा का पद से हटाने के संबंध में माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री टी.एस.सिंहदेव एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निम्नांकित संकल्प प्राप्त हुआ है :-

'यह सदन छत्तीसगढ़ विधान सभा के अध्यक्ष के प्रति अविश्वास व्यक्त करता है।'

पश्चात् दिनांक 21 जुलाई, 2014 को ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने प्रश्नकाल के पश्चात् संकल्प दिये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया था और मैंने यह व्यवस्था दी थी संकल्प संवैधानिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षणाधीन है।

अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाये जाने के संबंध में संविधान के **अनुच्छेद-179 के खंड (ग)** में यह प्रावधानित है कि-

'विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अध्यक्ष के पद धारित सदस्य को अपने पद से हटाया जा सकेगा।'

इसके साथ ही इसके परंतुक में यह प्रावधानित किया गया है कि-

'खंड(ग) के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा, जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई हो।'

विधानसभा का वर्तमान सत्र दिनांक 21 जुलाई से 25 जुलाई, 2014 तक की अवधि के लिए आहूत किया गया है। अध्यक्ष को पद से हटाये जाने के संबंध में संकल्प संविधान के अनुच्छेद-179 के खंड (ग) की पूर्ति नहीं करता, अतः छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 145 (2) के अंतर्गत, प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए वर्तमान सत्र में कार्य सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता।

अत: संविधान के प्रावधानों एवं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम के परिप्रेक्ष्य में माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल एवं अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्प सत्र हेतु निर्धारित अंतिम तिथि 25 जुलाई, 2014 को स्वयंमेव ही व्यपगत होने योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत संकल्प विचार के योग्य नहीं।

श्री टी.एस.सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष ने आसंदी की व्यवस्था के प्रति विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सूचना को इस सत्र में नहीं लिया जा सकता है तो इसको हम आगे के लिए छोड़ते हैं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-2013,

(2) श्री केदार कश्यप, आदिम जाति विकास मंत्री ने हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (क्रमांक 25 सन् 2013) की धारा 36 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-19-45/25-3/2012, दिनांक 4 मार्च, 2014 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ हाथ से मैला ढोने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास नियम, 2014, तथा

(3) श्री राजेश मूणत, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ-7-02/2011/32, दिनांक 28 फरवरी, 2014 **पटल पर रखे।**

5. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल, सदस्य एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा राशन कार्ड निरस्त किये जाने संबंधी दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराये जाने की मांग की गई।

माननीय अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि प्रश्नकाल में इस विषय पर विस्तारपूर्वक चर्चा हो गई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने आसंदी से आग्रह किया कि श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा आसंदी के लिए प्रयोग किए गये शब्दों के लिए माननीय सदस्य को इस संबंध में खेद व्यक्त करना चाहिए, उसके पश्चात् ही कार्यवाही आगे जारी रखी जाये।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई ।)

प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा पुनः राशन कार्ड निरस्त किए जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग किए जाने पर माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि राशन कार्ड का विषय सदन में आ चुका है। मैं विचार करूंगा कि यह विषय किस रूप में लिया जा सकता है, जो विषय सभा में आ चुका है उस पर स्थगन नहीं लिया जा सकता।

(पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारेबाजी की गई ।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने आसंदी से आग्रह किया कि श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा आसंदी के लिए प्रयुक्त शब्दों को वापस लिया जाना चाहिए एवं आसंदी से खेद व्यक्त करना चाहिए।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य ने उनके द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना पर चर्चा कराए जाने का आग्रह किया।

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री खेलसाय सिंह, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, (डॉ.) प्रीतम राम, चिन्तामणी महाराज, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, रामदयाल उइके, अमित अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री सियाराम कौशिक, दिलीप लहरिया, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), मोतीलाल देवांगन, जनकराम वर्मा, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, भैयाराम सिन्हा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, भूपेश बघेल, अरूण वोरा, गिरवर जंघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री मनोज सिंह मंडावी, शंकर ध्रुवा, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लखेश्वर बघेल, दीपक बैज, श्रीमती देवती कर्मा, श्री कवासी लखमा।

माननीय अध्यक्ष ने स्वमेव निलंबित सदस्यों को सभा गृह से बाहर जाने का निर्देश दिया एवं निलंबन अवधि पश्चात् निर्धारित किए जाने का उल्लेख किया। माननीय अध्यक्ष ने व्यक्त किया कि बार-बार इस सभा के नियमों का उल्लंघन करना उचित नहीं है। इस पर माननीय सदस्य विचार करें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल-कृषि मंत्री ने पुनः आसंदी से अनुरोध किया कि आसंदी माननीय सदस्य श्री भूपेश बघेल को निर्देशित करें कि वे अपने शब्दों को वापस लें, खेद व्यक्त करें जिससे इस सदन की गरिमा बढ़ सके।

श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री ने आसंदी से उनके द्वारा दिए गए निंदा प्रस्ताव पर व्यवस्था दिए जाने का आग्रह किया गया।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री द्वारा व्यक्त कथन के संबंध में विधान सभा की कार्यवाही देख कर व्यवस्था देंगे। विशेषाधिकार एवं निंदा प्रस्ताव मेरे समक्ष विचाराधीन हैं, उन पर मैं निर्णय लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य एवं श्री अजय चंद्राकर-संसदीय कार्य मंत्री, श्री महेश गागड़ा-सदस्य, श्री देवजी भाई पटेल- सदस्य, श्री प्रेमप्रकाश पांडे, राजस्व मंत्री ने भी आसंदी से आग्रह किया कि श्री भूपेश बघेल, सदस्य आसंदी से माफी मांगे।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि सभी माननीय सदस्यों का मत है कि आसंदी का सम्मान बना रहे। सदन की इच्छा के अनुरूप परंपराओं के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

7. निलंबन अवधि की समाप्ति की घोषणा

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की एवं माननीय सदस्यों से कार्यवाही में भाग लेने का आग्रह किया।

(सदन की कार्यवाही 12.31 बजे स्थगित की जाकर 12.57 बजे पुनः समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने पुनः राशन कार्ड से संबंधित विषय पर दिए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की।

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने व्यक्त किया कि सदन कि गरिमा जब तक बहाल नहीं होगी और माननीय सदस्य जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन की कार्यवाही का संचालन करना संभव नहीं होगा।

(प्रतिपक्ष एवं पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि- अधिकांश सदस्यों की ओर से यह बात आई है कि श्री भूपेश बघेल, सदस्य द्वारा दिनांक 21 जुलाई, 2014 को जो उन्होंने कहा था तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं.....

(प्रतिपक्ष एवं पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाए गए।)

श्री प्रेमप्रकाश पांडे, राजस्व मंत्री ने उल्लेख किया कि श्री भूपेश बघेल, सदस्य ने प्रतिपक्ष के साथियों को प्रेरित कर नारे लगवाए। अगर वे चर्चा करना चाहते तो वे खेद व्यक्त कर सभा की कार्यवाही आगे बढ़ाने में सहयोग करते। वे लगातार आसंदी के निर्देश को भी नहीं सुनना चाहते।

माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि माननीय राजस्व मंत्री ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट किया है, वे कल और आज की कार्यवाही देखकर अपने निर्णय से सदन को अवगत करायेंगे।

माननीय अध्यक्ष ने ध्यानाकर्षण हेतु श्री देवजी पटेल, सदस्य का नाम पुकारा।

8. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री देवजी पटेल, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(2) श्री मोहन मरकाम, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

(प्रतिपक्ष एवं पक्ष के सदस्यों द्वारा परस्पर विरोधी नारे लगाये गये।)

(प्रतिपक्ष के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

9. याचिकाओं की प्रस्तुति

माननीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार निम्नलिखित उपस्थित सदस्यों की याचिकाएं पढ़ी हुई मानी गयीं :-

(1) श्री अम्बेश जांगड़े

(2) श्री केशव चंद्रा

10.वर्ष 2014-2015 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

डॉ.रमन सिंह, मुख्यमंत्री ने वर्ष 2014-2015 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

माननीय अध्यक्ष ने अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए बुधवार, दिनांक 23 जुलाई, 2014 की तिथि निर्धारित की।

11.नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य (सूचना प्रस्तुत नहीं हुई)

12. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि-विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 (1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री खेलसाय सिंह, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, (डॉ.) प्रीतम राम, चिन्तामणी महाराज, टी.एस.सिंहदेव-नेता प्रतिपक्ष, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, रामदयाल उइके, अमित अजीत जोगी, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री सियाराम कौशिक, दिलीप लहरिया, चुन्नीलाल साहू (अकलतरा), मोतीलाल देवांगन, जनकराम वर्मा, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, भैयाराम सिन्हा, श्रीमती अनिला भेंडिया, सर्वश्री राजेन्द्र कुमार राय, भूपेश बघेल, अरूण वोरा, गिरवर जंघेल, दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, सर्वश्री मनोज सिंह मंडावी, शंकर ध्रुवा, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लखेश्वर बघेल, दीपक बैज, श्रीमती देवती कर्मा, श्री कवासी लखमा।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों को सभा गृह से बाहर जाने का निर्देश दिया एवं सूचित किया कि निलंबन की अवधि पश्चात निर्धारित की जायेगी।

अपराह्न 1.14 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनाँक 23 जुलाई, 2014 (श्रावण, 1 शक संवत् 1936) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा